राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

यू.ओ. नोट

जैसा कि विदित है राज्य में भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ हस्तांतरित किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके लिए भामाशाह डेटाबेस में प्रत्येक परिवार से संबंधित, उसकी पात्रता अनुसार विभिन्न राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत देय लाभों का अंकन किया जाना आवश्यक है। समस्त विभागों द्वारा, उनकी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों के परिवारों का नामांकन सुनिश्चित करवाना तथा नामांकन में देय लाभ की सूचना का अंकन करवाना अपेक्षित है।

राज्य में भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभ हस्तांतरित किये जाने के लिए सभी विभागों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :—

1. भामाशाह नामांकन का डेटा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त कर अपने विभाग के लाभार्थियों की जानकारी/नम्बर आदि का भामाशाह डेटा में अंकन एवं भामाशाह आई.डी. की विभागीय डेटाबेस में सीडिंग सुनिश्चित करना।
2. जिन लाभार्थियों का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ हैं, ऐसे सभी परिवारों से सम्पर्क कर उनका नामांकन (विभागीय योजना के लाभार्थी की जानकारी सहित) निकटस्थ ई—मित्र केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र (स्थाई नामांकन केन्द्र) पर दिनांक 30 जून, 2015 तक कराना।
3. विभागीय योजनाओं के साथ भामाशाह नामांकन का प्रचार—प्रसार करना।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करवाना सुनिश्चित करवाएं।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख शासन सचिव/
समस्त शासन सचिव,

....

....

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/481
दिनांकः 23.05.2015
23/5/15